राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) हेतु आमंत्रण

रुचि की अभिव्यक्ति: रा.आ.बैंक/लेखापरीक्षा/ईओआई/01/2024-25: राष्ट्रीय आवास बैंक

रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)-

वर्ष 2024-2025 (जुलाई-जून) और उसके बाद के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को लेखा परीक्षा फर्मों के चयन और आगे की सिफारिश के लिए

लेखा परीक्षा विभाग
मुख्य कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, चौथी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110003
फोन: 011-39187324, 011-39187366
ई-मेल: statutory.audit@nhb.org.in

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) हेतु आमंत्रण

शब्द संग्रह

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) हेतु आमंत्रण

महत्वपूर्ण ईओआई विवरण	
ईओआई दस्तावेज उपलब्ध कराने/अपलोड करने की तिथि।	21.10.2024 (सोमवार)
ईओआई प्रस्तुत करने की तिथि और समय	21.10.2024 (सोमवार) सुबह 11:00 बजे से
रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	04.11.2024 (सोमवार) रात 11:59 बजे तक
ईओआई खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, लेखा परीक्षा विभाग मुख्य कार्यालय, कोर 5-ए, चौथी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

नोट:- किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों द्वारा ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी या रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) हेतु आमंत्रण

रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए आमंत्रण

वर्ष 2024-2025 (जुलाई-जून) और उसके बाद के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को लेखा परीक्षा फर्मों के चयन और आगे की सिफारिश के लिए

क. राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- अधिनियम के तहत प्राप्त प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, भोपाल, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, रायपुर, पटना, जयपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं।

ख. रा.आ.बैंक, प्रतिष्ठित पात्र अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों [*साझेदारी फर्म (लेखापरीक्षा फर्म)/ सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)*] से रा.आ.बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक (एसए) के रूप में चयन एवं नियुक्ति हेतु तीन वर्ष की निरंतर अवधि के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है, बशर्ते लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी का प्रदर्शन संतोषजनक हो और प्रत्येक वर्ष पात्रता मानदंडों को पूरा किया जाए {अर्थात वित्तीय वर्ष 2024-25 (जुलाई-जून) और उसके बाद}, नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आगे की सिफारिश के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्ति के अनुमोदन के अधीन प्रदर्शन एवं पात्रता मानदंडों की संतोषजनक पूर्ति के आधार पर नियुक्ति वार्षिक आधार पर नवीनीकृत की

जा सकती है।

ग. ईओआई का उत्तर उन फर्मों/एलएलपी द्वारा दिया जाना है, जो इस ईओआई में निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

घ. इच्छुक और पात्र फर्मों/एलएलपी को अपना डेटा, विवरण, दस्तावेज, घोषणा/वचन आदि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित खोज योग्य पीडीएफ प्रारूप में, केवल ईमेल द्वारा, 04 नवंबर, 2024, रात 11:59 बजे तक ईमेल आईडी (**statutory.audit@nhb.org.in**) पर भेजना होगा। बाद में केवल **पात्र फर्मों से हार्ड कॉपी एकत्र की जाएगी**। ईमेल आवेदन के विषय में **"वर्ष 2024-25 (जुलाई-जून) और उसके बाद राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए आवेदन"** लिखा होना चाहिए। ईमेल में अधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और फर्म/एलएलपी का पूरा विवरण और फर्म/एलएलपी के अधिकृत व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। (*निर्दिष्ट कटऑफ तिथि और समयसीमा के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर रा.आ.बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा*)।

ङ. इच्छुक और पात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म/एलएलपी को भा.रि.बैंक द्वारा 11 जून, 2021 को जारी एफएक्यू और भा.रि.बैंक को सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की सिफारिश के लिए रा.आ.बैंक की बोर्ड अनुमोदित नीति (रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध) के साथ 27 अप्रैल, 2021 के भा.रि.बैंक परिपत्र में *'वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश'* में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।

च. इच्छुक और पात्र फर्मों/एलएलपी को निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज केवल खोज योग्य पीडीएफ प्रारूप (फर्म के लेटर हेड पर, फर्म/एलएलपी द्वारा अधिकृत भागीदार/व्यक्ति द्वारा विधिवत सत्यापित/हस्ताक्षरित, हालांकि, दस्तावेजों पर कोई डिजिटल हस्ताक्षरित/छवि हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे) में प्रदान करने की आवश्यकता है:

i. **परिशिष्ट - 1** के अनुसार पात्रता मानदंड का विवरण, साथ ही सहायक दस्तावेजी साक्ष्य।

ii. फर्म/एलएलपी का प्रोफाइल - **अनुलग्नक-I** के अनुसार।

iii. बैंकों/संगठनों/एआईएफआई की लेखा परीक्षा की सूची और वर्ष, जिस लेखा परीक्षा फर्म के पास पीएसयू बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या निजी/वाणिज्यिक बैंकों/एआईएफआई के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक/सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में अनुभव है।

iv. सूची और वर्ष (कार्य आरंभ और पूरा होने की तिथि), यदि आपकी फर्म ने रा.आ.बैंक के साथ कोई आंतरिक परियोजना /विशेष परियोजना, समवर्ती लेखापरीक्षा, स्टॉक लेखापरीक्षा, फोरेंसिक लेखापरीक्षा आदि किया है।

v. फर्म/एलएलपी का नवीनतम संविधान प्रमाण पत्र

vi. सभी साझेदार/भागीदारों के संपर्क नंबर और नाम।

vii. दस्तावेजों, घोषणाओं/वचनों पर हस्ताक्षर करने के लिए फर्म/एलएलपी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के प्राधिकरण के लिए केवाईसी दस्तावेज और सहायक दस्तावेज।

viii. फर्म/एलएलपी द्वारा यह वचन दिया जाना चाहिए कि फर्म/एलएलपी और उसके साझेदारों के खिलाफ कोई विधिक मुकदमा/आपराधिक मामला लंबित नहीं है या उन्हें पहले नैतिक पतन या लागू विधि के उल्लंघन के आधार पर दोषी नहीं ठहराया गया है।

ix. फर्म/एलएलपी के दिल्ली/एनसीआर स्थित मुख्यालय का पता (सहयोगी कार्यालय पर विचार नहीं किया जाएगा)।

x. लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी की स्वतंत्रता और हितों के टकराव पर घोषणा।

xi. **सीएजी की लेखापरीक्षा फर्मों का अखिल भारतीय पैनल, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी शॉर्टलिस्ट किया गया है और जो वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक (एससीए) के रूप में नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए पात्र हैं, केवल रा.आ.बैंक को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे।**

xii. सांविधिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र का विवरण **परिशिष्ट - 2** में दिया गया है।

xiii. चयन प्रक्रिया और स्कोरिंग पैटर्न का विवरण **परिशिष्ट - 3** में दिया गया है।

अस्वीकरण: यदि आवश्यक हो तो रा.आ.बैंक उपर्युक्त के अतिरिक्त किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज/सूचना को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज/सूचना को 02 कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्दिष्ट कटऑफ समयसीमा के बाद प्राप्त किसी भी दस्तावेज/सूचना पर रा.आ.बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

छ. लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी को अपने प्रस्ताव की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित या प्रासंगिक सभी लागतों को वहन करना होगा और रा.आ.बैंक को किसी भी मामले में ऐसी लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, चाहे प्रक्रिया का संचालन या परिणाम कुछ भी हो, जिसमें प्रक्रिया को रद्द करना/त्यागना/निरस्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

ज. फर्म यह स्वीकार करती है कि बैंक अपने पूर्ण विवेक से पात्र लेखा परीक्षकों के चयन के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु दस्तावेज़ में निर्दिष्ट चयन मानदंडों को लागू कर सकता है।

झ. ईओआई प्रस्तुत करने पर यह माना जाएगा कि फर्म ने ईओआई की शर्तों तथा अस्वीकरण को स्वीकार कर लिया है।

ञ. फर्म इस ईओआई में रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करने के लिए वचनबद्ध और सहमत है, जिसमें सभी परिशिष्ट, शुद्धिपत्र आदि शामिल हैं।

ट. फर्म/एलएलपी रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, ईओआई में रा.आ.बैंक द्वारा प्रदान किए गए किसी भी दस्तावेज या सूचना का उपयोग ईओआई प्रस्तुत करने के उद्देश्य को छोड़कर नहीं करेंगे।

ठ. अनुबंध/निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर: अंतिम 02 शॉर्टलिस्ट की गई फर्म/एलएलपी (जिन्हें भा.रि.बैंक को नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जाएगा) रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार सेवा स्तर समझौते (एसएलए) और गोपनीयता सह गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) पर हस्ताक्षर करेंगे।

ड. भ्रष्ट एवं कपटपूर्ण व्यवहार की रोकथाम:

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुसार, यह आवश्यक है कि प्रत्येक भाग लेने वाली फर्म/एलएलपी इस ईओआई के **अनुलग्नक-II** के अनुसार एक सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करें।
- प्रत्येक फर्म/एलएलपी से नीति के अनुसरण में ऐसे अनुबंधों के क्रय एवं निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करने की अपेक्षा की जाती है: "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है क्रय प्रक्रिया में या अनुबंध निष्पादन में किसी अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए मूल्यवान वस्तु की पेशकश, देना, प्राप्त करना या मांगना और "कपटपूर्ण आचरण" का अर्थ है बैंक के नुकसान के लिए क्रय प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण और इसमें फर्मों के बीच मिलीभगत का अभ्यास (ईओआई प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) शामिल है, जो कृत्रिम गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर बोली मूल्य स्थापित करने और बैंक को मुक्त और खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करने के लिए किया गया हो।
- बैंक को पुरस्कार के लिए किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार है, यदि वह यह निर्धारित करता है कि पुरस्कार के लिए अनुशंसित फर्म ने संबंधित अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने में भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार किया है।
- बैंक को किसी फर्म को अनुबंध दिए जाने के लिए अनिश्चित काल के लिए या एक निश्चित समयावधि के लिए अयोग्य घोषित करने का अधिकार है, यदि वह किसी भी समय यह निर्धारित करता है कि फर्म ने प्रतिस्पर्धा करने में या अनुबंध के लिए प्रदान की गई पिछली सेवाओं के दौरान या अनुबंध को निष्पादित करने में भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार किया है।

ढ. रा.आ.बैंक सभी चयनित फर्मों को ईओआई के परिणाम के बारे में यथाशीघ्र लिखित रूप में या मेल द्वारा या अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करके सूचित करेगा।

ण. रा.आ.बैंक किसी भी कारण से या बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी अभिरुचि अभिव्यक्तियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और ऐसे किसी भी कारण से ईओआई प्रतिभागियों को होने वाले किसी भी नुकसान/चोट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और/या इस ईओआई में कोई भी परिशिष्ट शामिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे सभी संशोधन/संशोधन ईओआई प्रतिभागियों (लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी) पर बाध्यकारी होंगे।

त. रा.आ.बैंक अपने विवेकाधार पर ईओआई प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

थ. ईओआई की भाषा: लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी द्वारा तैयार ईओआई, साथ ही लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी और रा.आ.बैंक द्वारा आदान-प्रदान किए गए ईओआई से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज तथा सहायक दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखे जाएंगे।

द. प्रारंभिक परीक्षाएं: रा.आ.बैंक यह निर्धारित करने के लिए ईओआई की जांच करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, दस्तावेजों पर उचित रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं; सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न हैं और ईओआई आम तौर पर क्रम में हैं आदि। रा.आ.बैंक अपने विवेकाधार पर ईओआई में किसी भी छोटी-मोटी कमी, गैर-अनुरूपता या अनियमितता को माफ कर सकता है जो भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है, बशर्ते कि ऐसी छूट किसी भी लेखापरीक्षा फर्म / एलएलपी की सापेक्ष रैंकिंग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित या प्रभावित नहीं करती है। ईओआई दस्तावेजों के मूल्यांकन के संबंध में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

ध. प्रस्ताव का स्वामित्व: लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सभी सहायक दस्तावेज रा.आ.बैंक की संपत्ति माने जाएंगे, जब तक कि रा.आ.बैंक लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी के विशिष्ट अनुरोध पर लिखित रूप से सहमत न हो कि प्रस्ताव और दस्तावेज वापस कर दिए जाएं या नष्ट कर दिए जाएं।

न. पात्र लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईओआई जमा करने से पहले ईओआई दस्तावेज़ में सभी संशोधन/संवर्द्धन (यदि कोई हो) पर उनके द्वारा विचार किया गया है। लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी द्वारा किसी भी चूक के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

ऩ. यदि फर्म द्वारा दिया गया कोई भी कथन/घोषणा गलत या झूठी या अधूरी पाई जाती है या प्रक्रिया के किसी भी चरण में या ईओआई स्वीकार किए जाने की स्थिति में पात्रता के मूल्यांकन से संबंधित कोई भी जानकारी छिपाई जाती है, तो ईओआई को रद्द/निरस्त किया जाएगा।

प. रा.आ.बैंक अन्य बैंकों और संस्थानों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिन्हें लेखापरीक्षक फर्म/एलएलपी ने समान परियोजनाओं/कार्यों के निष्पादन के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

फ. रा.आ.बैंक सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने या किसी विशेष लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी को सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध या बाध्य नहीं करता है और लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी द्वारा की गई ऐसी कोई भी धारणा उनके अपने जोखिम/जिम्मेदारी पर होगी। इसके अतिरिक्त, सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफारिश या अनुशंसित, यदि संभावित लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी द्वारा लाई जाती है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

ब. रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम, निर्णायक और सभी ईओआई प्रतिभागियों (लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी) पर बाध्यकारी होगा और ईओआई प्रतिभागियों (लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी) द्वारा उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा/चुनौती नहीं दी जाएगी।

भ. ईओआई कोई समझौता नहीं है और न ही रा.आ.बैंक द्वारा कोई प्रस्ताव या प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। ईओआई प्रक्रिया से कोई भी संविदात्मक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि रा.आ.बैंक द्वारा चयनित

लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी के पक्ष में नियुक्ति का औपचारिक पत्र निष्पादित नहीं किया जाता है।

म. यह ईओआई दस्तावेज़ हस्तांतरणीय नहीं है। ईओआई दस्तावेज़ की सॉफ्ट कॉपी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

य. ईओआई के बारे में कोई भी प्रश्न/स्पष्टीकरण ईओआई प्रस्तुत करने के अंतिम दिन (अर्थात 04.11.2024) से 05 दिन पहले या उससे पहले केवल ईमेल आईडी- **statutory.audit@nhb.org.in** पर मेल के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, और यदि इसका समाधान नहीं होता है, तो रा.आ.बैंक द्वारा बैठक बुलाया सकता है और बैठक की सूचना ईमेल के माध्यम से अलग से साझा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, फर्म कार्य दिवसों और कार्यालय समय (अर्थात सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक) के दौरान निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकती है:

श्री अतुल पाल, प्रबंधक	011-39187324
सुश्री वर्षा पांडे, सहायक प्रबंधक	011-39187366

परिशिष्ट - 1

परिभाषाएं:

क) "लेखा वर्ष" का अर्थ बैंक का वर्तमान लेखा वर्ष जुलाई-जून है, "वित्त वर्ष" या "वित्तीय वर्ष" जहां भी रा.आ.बैंक के संबंध में उल्लेख किया गया है उसे लेखा वर्ष के रूप में पढ़ा जाएगा।

ख) "लेखा परीक्षा समिति" का अर्थ बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति है।

ग) "बोर्ड" का अर्थ बैंक के निदेशक मंडल है।

घ) "सांविधिक लेखा परीक्षक (एसए)" का अर्थ बैंक की सांविधिक लेखा परीक्षा करने के लिए नीति के अनुसार नियुक्त लेखा परीक्षक हैं।

ङ) "भा.रि.बैंक परिपत्र" का अर्थ भा.रि.बैंक परिपत्र भा.रि.बैंक/2021-22/25 संदर्भ संख्या डीओएस.सीओ.एआरजी/एसईसी.01/08.91.001/2021-22. दिनांकित 27 अप्रैल, 2021 है।

च) "समूह संस्थाओं" का अर्थ दो या दो से अधिक संस्थाएं होंगी जो निम्नलिखित संबंधों में से किसी के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित हैं, अर्थात सहायक - मूल कंपनी (एएस 21 के संदर्भ में परिभाषित), संयुक्त उद्यम (एएस 27 के संदर्भ में परिभाषित), सहयोगी (एएस 23 के संदर्भ में परिभाषित), प्रवर्तक -प्रमोटी [सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी (शेयरों का अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 1997 में प्रदान की गई], संबंधित पक्ष (एएस 18 के संदर्भ में परिभाषित), सामान्य ब्रांड नाम, और 20% व उससे अधिक के इक्विटी शेयरों में निवेश। [नोट: " लेखांकन मानक " का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित लेखा मानक है]

छ) " प्रवर्तक" का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 में है और इसमें प्रवर्तक समूह का सदस्य भी शामिल है।

ज) प्रवर्तक समूह में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं

i) प्रवर्तक की सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी।

ii) कोई भी निगमित निकाय जिसमें प्रवर्तक इक्विटी शेयर पूंजी का बीस प्रतिशत या उससे अधिक रखता है; और/या कोई भी निगमित निकाय जो प्रवर्तक की इक्विटी शेयर पूंजी का बीस प्रतिशत या उससे अधिक रखता है;

iii) कोई भी निगमित निकाय जिसमें व्यक्तियों या कंपनियों का समूह या उनका संयोजन मिलकर काम कर रहा है, जो उस निगमित निकाय में इक्विटी शेयर पूंजी का बीस प्रतिशत या उससे अधिक रखता है और व्यक्तियों या कंपनियों का ऐसा समूह या उनका संयोजन जारीकर्ता की इक्विटी शेयर पूंजी का बीस प्रतिशत या उससे अधिक रखता है और वे भी मिलकर काम कर रहे हैं।

i) संभावित हितों का टकराव - सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार की जा रही किसी फर्म के संदर्भ में संभावित हितों का टकराव, निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न हो सकता है:

i) फर्म बैंक की किसी समूह इकाई के लिए लेखापरीक्षा/गैर-लेखापरीक्षा कार्यरत है, जो भा.रि.बैंक द्वारा विनियमित नहीं है,

ii) लेखापरीक्षा फर्म बैंक की किसी समूह इकाई के लिए लेखापरीक्षा/गैर-लेखापरीक्षा कार्यरत थी, जो भा.रि.बैंक द्वारा

विनियमित नहीं है, और इस तरह की नियुक्ति के पूरा होने/त्याग के बाद एक वर्ष से अधिक समय नहीं बीता है,

iii) फर्म का कोई भागीदार बैंक की किसी समूह इकाई में निदेशक है, जो भा.रि.बैंक द्वारा विनियमित नहीं है।

क. न्यूनतम पात्रता मानदंड

लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी का नाम				
लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी एलएलपी का मुख्य कार्यालय				
लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी के शाखा कार्यालयों की सूची				
कम से कम 3 वर्षों की अवधि के लिए फर्म के साथ जुड़े पूर्णकालिक साझेदारों (एफटीपी) की न्यूनतम संख्या।	एफटीपी में से, कम से कम 3 वर्षों की अवधि के लिए फर्म के साथ जुड़े फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट (एफसीए) भागीदारों की न्यूनतम संख्या।	सीआईएसए/ आईएसए के साथ पूर्णकालिक साझेदारों/सीए की न्यूनतम संख्या योग्यता.	पीएसबी या निजी बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक/सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में लेखा परीक्षा का न्यूनतम वर्षों का अनुभव।	व्यावसायिक लेखापरीक्षा कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या (प्रशासनिक कर्मचारियों को छोड़कर)
5	**4**	**2**	**15**	**18**

पात्रता मानदंड 1: पूर्णकालिक साझेदार के रूप में विचार करने के लिए शॉर्टलिस्टिंग की तिथि पर ऐसे 5 साझेदारों का फर्म के साथ कम से कम एक वर्ष का निरंतर जुड़ाव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, फर्म के ऐसे पांच साझेदारों में से कम से कम दो साझेदारों का फर्म के साथ कम से कम 10 वर्षों तक निरंतर जुड़े होना चाहिए। फर्म के साथ पूर्णकालिक साझेदार के जुड़े होने का अर्थ अनन्य जुड़ाव होगा। 'अनन्य जुड़ाव' की परिभाषा निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगी:

(i) पूर्णकालिक साझेदार किसी अन्य फर्म/फर्मों में साझेदार नहीं होना चाहिए।

(ii) वह कहीं और पूर्णकालिक/अंशकालिक रूप से कार्यरत नहीं होना चाहिए।

(iii) वह अपने नाम से अभ्यास नहीं कर रहा हो या अन्यथा अभ्यास में न लगा हो या अन्य गतिविधि में न लगा हो जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 2(2) के अंतर्गत अभ्यास में माना जाएगा।

(iv) बोर्ड/एसीबी जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि फर्म/एलएलपी से भागीदार की आय उन्हें पूर्णकालिक विशेष रूप से संबद्ध भागीदार के रूप में विचार करने के लिए पर्याप्त है, जो इस उद्देश्य के लिए फर्म की क्षमता सुनिश्चित करेगा।

पात्रता मानदंड 2 : सीआईएसए/आईएसए योग्यता: इस उद्देश्य के लिए सीआईएसए/आईएसए योग्यता के साथ भुगतान सीए के रूप में विचार करने के लिए चयन की तिथि तक फर्म के साथ सीआईएसए/आईएसए योग्यता वाले भुगतान सीए का कम से कम निरंतर एक वर्ष तक जुड़े होने चाहिए।

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) हेतु आमंत्रण

पात्रता मानदंड 3: लेखापरीक्षा अनुभव: लेखापरीक्षा अनुभव का अर्थ है वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर)/एआईएफआई के सांविधिक केंद्रीय/शाखा लेखापरीक्षक के रूप में लेखापरीक्षा फर्म का अनुभव। लेखापरीक्षा फर्मों के विलय और विभाजन के मामले में, विलय के 2 वर्ष बाद विलय प्रभाव दिया जाएगा जबकि इस उद्देश्य के लिए विभाजन तत्काल प्रभावी होगा।

पात्रता मानदंड 4: व्यावसायिक कर्मचारी: व्यावसायिक कर्मचारियों में लेखापरीक्षा और लेख लिपिक शामिल हैं, जिन्हें बहीखाता और लेखा-जोखा का ज्ञान है और जो ऑन-साइट लेखापरीक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें टाइपिस्ट/स्टेनो/कंप्यूटर ऑपरेटर/सचिव/अधीनस्थ कर्मचारी आदि शामिल नहीं हैं। इस उद्देश्य के लिए उन्हें व्यावसायिक कर्मचारी के रूप में विचार करने के लिए चयन की तिथि तक फर्म के साथ व्यावसायिक कर्मचारियों का कम से कम निरंतर एक वर्ष तक जुड़े होने चाहिए।

पात्रता मानदंड 5: वर्ष 2024-25 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र लेखापरीक्षा फर्मों का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अखिल भारतीय पैनल। पात्रता मानदंड को पूरा करने के अधीन, बैंक की फर्मों/पूर्व लेखा परीक्षकों/अतीत में बैंक से जुड़ी फर्मों से ईओआई आमंत्रित किया जाएगा।

पात्रता मानदंड 6: सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित लेखापरीक्षा फर्म को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के अनुसार कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत योग्यता होनी चाहिए।

पात्रता मानदंड 7: लेखापरीक्षा फर्म को किसी भी सरकारी एजेंसी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), भा.रि.बैंक या अन्य वित्तीय नियामकों द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए।

पात्रता मानदंड 8: यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का कोई भागीदार भा.रि.बैंक विनियमित समूह इकाई में निदेशक है, तो उक्त फर्म को बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए फर्मों के चयन की प्रक्रिया के लिए, इस संबंध में फर्म/एलएलपी द्वारा उचित प्रकटीकरण प्रदान किए जाने चाहिए, जिसमें समूह संस्थाओं में निदेशक पद के विवरण भी शामिल हैं जो भा.रि.बैंक द्वारा विनियमित नहीं हैं।

पात्रता मानदंड 9: लेखापरीक्षा फर्म/एलएलपी का मुख्यालय नई दिल्ली/एनसीआर में होना चाहिए।

पात्रता मानदंड 10: लेखापरीक्षा फर्म लेखापरीक्षा अवधि के पूर्ण या आंशिक एक कार्यकाल के पूरा होने के बाद छह वर्ष (दो कार्यकाल) के लिए उसी विनियमित इकाई (इस मामले में रा.आ.बैंक) में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। यदि किसी लेखापरीक्षा फर्म ने आंशिक कार्यकाल (1 वर्ष या 2 वर्ष) के लिए बैंक का लेखापरीक्षा किया है और फिर शेष कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया गया है, तो वे आंशिक कार्यकाल पूरा होने से छह वर्ष के लिए बैंक में पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र नहीं होंगे।

- **फर्मों को अनुलग्नक III में उल्लिखित पात्रता मानदंड चेकलिस्ट को विधिवत भरा और हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना आवश्यक है।**

- **सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु बैंक को आवेदन करने वाली फर्मों/एलएलपी को भा.रि.बैंक के परिपत्र संदर्भ संख्या डीओएस.सीओ.एआरजी/ एसईसी.01/08.91.001/2021-22 दिनांकित 27 अप्रैल, 2021 का संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है। चयन मानदंड में अन्य बातों के साथ-साथ उपर्युक्त परिपत्र और "भा.रि.बैंक को सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की सिफारिश" पर रा.आ.बैंक की नीति का अनुपालन शामिल है।**

नोट: एक मूल्यांकन समिति रा.आ.बैंक के एसीबी के समक्ष प्रस्तुतिकरण देने के लिए फर्मों से प्राप्त पात्रता आवश्यकताओं और इच्छानुसार मापदंडों पर लेखापरीक्षा फर्मों का मूल्यांकन करके फर्मों का चयन करेगी। मूल्यांकन समिति, प्राप्त किए गए उच्चतम अंकों के क्रम में अंकों के आधार पर, 03 लेखापरीक्षा फर्मों का चयन करेगी, जिनमें हितों के टकराव की संभावना न हो। ऐसी चयनित की गई लेखापरीक्षा फर्मों को एसीबी के समक्ष प्रस्तुतिकरण देने के लिए बताया जाएगा, जिसमें भा.रि.बैंक दिशानिर्देशों के अनुपालन के सभी पहलू शामिल होंगे। एसीबी रिक्ति के विरुद्ध उनके नामों का संकेत देते हुए वरीयता के क्रम में कम से कम 2 लेखापरीक्षा फर्मों (मूल्यांकन समिति द्वारा पहले चयनित 03 में से) का चयन करेगा। हालांकि, बैंक द्वारा एसए की पुनर्नियुक्ति के मामले में, 3 वर्ष की निरंतर अवधि के कार्यकाल के पूरा होने तक, नियुक्ति मांगते समय भा.रि.बैंक को कई लेखापरीक्षा फर्मों के नाम चयनित करने और भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

ख. बुनियादी पात्रता मानदंडों का निरंतर अनुपालन

यदि कोई लेखापरीक्षा फर्म (नियुक्ति के बाद) किसी भी पात्रता मानदंड (किसी भी भागीदार, कर्मचारी के इस्तीफे, मृत्यु आदि, सरकारी एजेंसियों, एनएफआरए, आईसीएआई, भा.रि.बैंक, अन्य वित्तीय नियामकों आदि द्वारा कार्रवाई के कारण) का अनुपालन नहीं करती है, तो उसे शीघ्र पूर्ण विवरण के साथ बैंक से संपर्क करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा फर्म को उचित समय के भीतर पात्र बनने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए और किसी भी मामले में, लेखापरीक्षा फर्म को 30 जून को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा आरंभ होने से पहले और वार्षिक लेखापरीक्षा पूरा होने तक उपरोक्त मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए।

लेखापरीक्षा आरंभ होने के बाद किसी भी असाधारण परिस्थिति के मामले में, जैसे कि एक या अधिक भागीदारों, कर्मचारियों आदि की मृत्यु, जो फर्म को किसी भी पात्रता मानदंड के संबंध में अयोग्य बनाती है, बैंक विशेष मामले के रूप में संबंधित लेखापरीक्षा फर्म को लेखापरीक्षा पूरा करने की अनुमति देने के लिए भा.रि.बैंक से संपर्क कर सकता है।

- **अन्य नियम एवं शर्तें**

1. लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता:

1.1 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) प्रासंगिक विनियामक प्रावधानों, मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में लेखापरीक्षकों

की स्वतंत्रता और हितों के टकराव की स्थिति की निगरानी और मूल्यांकन करेगी। इस संबंध में किसी भी चिंता को एसीबी द्वारा रा.आ.बैंक के निदेशक मंडल और भा.रि.बैंक के संबंधित वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम)/क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) को सूचित किया जा सकता है।

1.2 रा.आ.बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षकों को सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। बैंक और किसी भी इकाई का उसी संदर्भ वर्ष के लिए बैंक में बड़े जोखिम (जैसा कि भा.रि.बैंक के 'उच्च जोखिम प्रणाली' पर निर्देशों में परिभाषित किया गया है) वाली किसी भी इकाई के लेखापरीक्षा को भी लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता का आकलन करते समय स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

1.3 बैंक के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किसी भी गैर- लेखापरीक्षा कार्य (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 में उल्लिखित सेवाएं, आंतरिक परियोजना, विशेष परियोजना, आदि) या इसके समूह संस्थाओं के लिए किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षा /गैर- लेखापरीक्षा कार्य के बीच का समय अंतराल सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति से पहले या बाद में कम से कम एक वर्ष होना चाहिए। हालांकि, सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में कार्यकाल के दौरान, एक लेखापरीक्षा फर्म बैंक को ऐसी सेवाएं प्रदान कर सकती है, जिससे आम तौर पर हितों का टकराव नहीं होता है, और बैंक एसीबी के परामर्श से इस संबंध में निर्णय लेगा। निम्नलिखित विशेष परियोजना (सांकेतिक सूची) के मामले में आम तौर पर टकराव नहीं बनाया होगा :

(i) कर लेखा परीक्षा, जीएसटी लेखा परीक्षा, कर प्रतिनिधित्व और कराधान मामलों पर सलाह,
(ii) अंतरिम वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा।
(iii) सांविधिक या नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र।
(iv) वित्तीय जानकारी या उसके खंडों पर रिपोर्टिंग। हालाँकि, यदि कोई लेखापरीक्षा फर्म बैंक के साथ किसी गैर- लेखापरीक्षा कार्य में और/या अन्य भा.रि.बैंक विनियमित समूह संस्थाओं में किसी लेखापरीक्षा/गैर- लेखापरीक्षा कार्य में शामिल है और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति की तिथि से पहले उक्त परियोजना को पूरा करता है या त्याग देता है, तो उक्त लेखापरीक्षा फर्म वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगी।

1.4 उपरोक्त पैरा 1.2 और 1.3 में वर्णित प्रतिबंध, लेखापरीक्षा फर्मों के समान नेटवर्क (कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 6(3) में परिभाषित) के अंतर्गत आने वाली लेखापरीक्षा फर्म या समान साझेदार वाली किसी अन्य लेखापरीक्षा फर्म पर भी लागू होंगे।

2. कार्यकाल और रोटेशन

2.1 लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, बैंक तीन वर्षों की निरंतर अवधि के लिए भा.रि.बैंक में नियुक्ति के लिए लेखा परीक्षकों की सिफारिश करेगा, बशर्ते कि फर्म प्रत्येक वर्ष पात्रता मानदंडों को पूरा करें।

2.2 लेखा परीक्षा फर्म लेखापरीक्षा अवधि के पूर्ण या आंशिक कार्यकाल के पूरा होने के बाद छह वर्षों (दो कार्यकाल) के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। यदि किसी लेखा परीक्षा फर्म ने आंशिक कार्यकाल (1 वर्ष या 2 वर्ष) के लिए बैंक का लेखा परीक्षा किया है और फिर शेष कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया गया है, तो वे आंशिक कार्यकाल पूरा होने से छह वर्षों के लिए बैंक में पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र नहीं होंगे।

2.3 बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित लेखापरीक्षा फर्म, एक विशेष वर्ष के दौरान अधिकतम चार वाणिज्यिक बैंकों [जिसमें एक से अधिक पीएसबी या एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (नाबार्ड, सिडबी, रा.आ.बैंक, एक्जिम बैंक और नैबफिड) या भा.रि.बैंक शामिल नहीं है], आठ यूसीबी और आठ एनबीएफसी की सांविधिक लेखापरीक्षा कर सकती है। आम साझेदारों और/या एक ही नेटवर्क के तहत लेखापरीक्षा फर्मों के समूह को एक इकाई माना जाएगा। लेखापरीक्षा फर्मों के एक ही नेटवर्क के तहत किसी अन्य/सहयोगी लेखापरीक्षा फर्म द्वारा साझा/उप-अनुबंधित लेखापरीक्षा की अनुमति नहीं है। आने वाली लेखापरीक्षा फर्म पात्र नहीं होगी यदि ऐसी लेखापरीक्षा फर्म लेखापरीक्षा फर्मों के एक ही नेटवर्क के तहत निवर्तमान लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म से जुड़ी हुई है।

3 सांविधिक लेखापरीक्षक-पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया

3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान मौजूदा लेखा परीक्षकों की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया: प्रत्येक वर्ष, बैंक पात्रता मानदंडों के अनुपालन पर घोषणा प्राप्त करके पुनर्नियुक्ति के लिए मौजूदा लेखा परीक्षक से इच्छा प्राप्त करेगा और भा.रि.बैंक को सिफारिश करेगा। यदि किसी मौजूदा लेखा परीक्षक से ऐसी सहमति प्राप्त नहीं होती है, तो बैंक नए लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए भा.रि.बैंक को आगे की प्रस्तुति के लिए चयन प्रक्रिया का पालन करेगा।

4. लेखापरीक्षा शुल्क एवं व्यय

सांविधिक लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक, रा.आ.बैंक के बैलेंस शीट आकार के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों को देय मूल लेखा परीक्षा शुल्क से जुड़ा हुआ है और इसे भा.रि.बैंक द्वारा तय किए गए समान बैलेंस शीट आकार वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एस.सी.ए.) के मूल लेखा परीक्षा शुल्क के साथ संरेखित किया गया है। विवरण **परिशिष्ट - 4** में दिया गया है।

5. सांविधिक लेखापरीक्षकों के व्यावसायिक मानक

5.1 लेखापरीक्षा दायित्वों के निर्वहन में सांविधिक लेखापरीक्षकों को उच्चतम परिश्रम के साथ प्रासंगिक व्यावसायिक मानकों द्वारा सख्ती से निर्देशित किया जाएगा।

5.2 बैंक का एसीबी वार्षिक आधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। सांविधिक लेखापरीक्षकों की ओर से आचरण संबंधी मुद्दों या प्रासंगिक माने जाने वाले किसी अन्य मामले पर लेखापरीक्षा दायित्वों में कोई गंभीर चूक/लापरवाही होने पर भा.रि.बैंक को सूचित किया जाएगा। एस.ए. को एन.एच.बी. द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मांगे जाने पर अपनी फर्म से

संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।

5.3 लेखापरीक्षा कार्य करने में चूक के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में गलत विवरण, और बैंक के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में भा.रि.बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन/चूक की स्थिति में, सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रासंगिक सांविधिक/विनियामक प्रणाली के तहत उचित तरीके से निपटाया जाएगा।

--xx—xx--

परिशिष्ट – 2

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) के 'लेखा परीक्षा क्षेत्र' में शामिल करने के लिए भा.रि.बैंक से अपेक्षाएं

क)रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 के तहत शर्तें

i. लेखा परीक्षकों को रा.आ.बैंक की वार्षिक बैलेंस शीट की एक प्रति प्रदान की जाएगी, तथा यह उनका कर्तव्य होगा कि वे इसे संबंधित खातों और वाउचरों के साथ जांचे तथा रा.आ.बैंक द्वारा रखी गई सभी बही-खातों की एक सूची उन्हें सौंपी जाएगी तथा सभी उचित समय पर रा.आ.बैंक के बही-खातों, खातों, वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तक उनकी पहुंच होगी।

ii. लेखा परीक्षक रा.आ.बैंक के खातों के संबंध में बोर्ड के किसी भी निदेशक या रा.आ.बैंक के किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की जांच कर सकते हैं तथा बोर्ड या रा.आ.बैंक के अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने के हकदार होंगे, जैसा कि वे अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझें।

iii. लेखा परीक्षक अपने द्वारा जांचे गए वार्षिक बैलेंस शीट और खातों पर रा.आ.बैंक को एक रिपोर्ट देंगे और ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट में, वे बताएंगे कि क्या उनकी राय में बैलेंस शीट एक पूर्ण और निष्पक्ष बैलेंस शीट है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं और रा.आ.बैंक के मामलों की सही और निष्पक्ष स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए ठीक से तैयार किया गया है और यदि उन्होंने बोर्ड या रा.आ.बैंक के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी से कोई स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी थी, तो क्या यह दिया गया था और क्या यह संतोषजनक था।

ख)**एसएसएम प्रभाग, भा.रि.बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र/रिपोर्ट** –
कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

इस संबंध में, कार्यक्षेत्र और अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली का विवरण निम्नानुसार है:
साइबर सुरक्षा प्रणाली से संबंधित प्रमाणन के लिए अपनाई जाने वाली गुंजाइश/पद्धति

i. दायरे को केवल साइबर सुरक्षा और आईटी जोखिम समूह (ई-सीएसआईटीई), पर्यवेक्षण विभाग, भा.रि.बैंक द्वारा जारी परिपत्रों, सलाह और सतर्कता तक सीमित रखें।

ii. अनुपालन के स्तर का आकलन करें:
   क. एफआई के साथ चर्चा।
   ख. एफआई की विभिन्न समितियों (बोर्ड, बोर्ड स्तर और कार्यकारी स्तर) को प्रस्तुत किए गए नोट्स/रिपोर्ट/दस्तावेजों की समीक्षा।
   ग. लेखापरीक्षा समितियों (बोर्ड/कार्यपालक) को प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट – बाह्य एवं आंतरिक दोनों की समीक्षा और उनके अनुपालन स्तर की समीक्षा।
   घ. एफआई द्वारा भा.रि.बैंक (साइबर सुरक्षा और आईटी जोखिम समूह (ई-सीएसआईटीई), पर्यवेक्षण विभाग,

भा.रि.बैंक) को प्रस्तुत रिटर्न की समीक्षा।

iii. रा.आ.बैंक पर लागू निम्नलिखित निर्देशों की अनिवार्य रूप से जाँच की जा सकती है और अन्य निर्देशों (निम्न सूचीबद्ध नहीं है) की जाँच नमूना आधार पर की जा सकती है।

परिपत्र: परिपत्र संख्या, दिनांक और विषय

1. DBS.CO/CSITE/BC.11/33.01.0 01/2015-16; 2 जून, 2016 बैंकों में साइबर सुरक्षा प्रणाली के संदर्भ में
2. DBS(CO).CSITE/9094/31.01.0 15/2016-17; 23 मई, 2017 जोखिम शासन प्रणाली पर - मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की भूमिका के संदर्भ में
3. DBS.CO.CSITE. सं. 3082/31.01.015/2017-18; 15 दिसंबर, 2017 ईमेल प्रणाली को सुरक्षित करना - डीएमआरसी के कार्यान्वयन के संदर्भ में
4. DBS.CO.CSITE/4493/31.01.01 5/2017-18; 20 फरवरी, 2018 स्विफ्ट से संबंधित परिचालन नियंत्रणों के समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में
5. DBS.CO/CSITE/BC.सं. 1/31.01.015/2018-19; 31 अगस्त, 2018 आईटी और साइबर सुरक्षा में प्रमाणन कार्यक्रमों के संदर्भ में
6. DoS.CO.CSITE.SEC.सं.1852/31.01.015/2020-21; 18 फरवरी, 2021 डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निर्देश के संदर्भ में
7. DoS.CO.CSITEG/SEC.1/31.01.015/2023-24; 10 अप्रैल, 2023 सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास्टर निर्देश पर (1 अक्टूबर, 2023 से लागू) के संदर्भ में

परामर्श:

परामर्श संख्या	**दिनांक**	**विषय**
CO.DOS.CSITEG.SEC.No. 2/31-01-015/2023-2024	10 अप्रैल, 2023	एडवाइजरी डाइजेस्ट – 2023 *(यह एडवाइजरी डाइजेस्ट दिसंबर 2022 तक जारी किए गए परामर्श में निहित सभी निर्देशों/नियंत्रणों को समेकित करता है। रा.आ.बैंक उक्त एडवाइजरी डाइजेस्ट में निर्धारित नियंत्रणों के समेकित सेट के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा, जिनमें से पैरा 1 से 15 नियंत्रणों का अनिवार्य सेट है और पैरा 16 अनुशंसात्मक और अच्छा नियंत्रण है)*
परामर्श सं. 1 of 2023	14 मार्च, 2023	हेडर और कंटेंट टेम्पलेट्स/स्पैम एसएमएस का दुरुपयोग
परामर्श सं. 2 of 2023	27 मार्च, 2023	इंटरनेट बैंकिंग अनुप्रयोगों के लिए पासवर्ड परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में सूचना - विनियमित संस्थाओं के लिए जो अपने ग्राहकों को समय-समय पर अपना पासवर्ड (लॉगिन स्तर और/या लेनदेन स्तर) बदलने के लिए बाध्य करती हैं।
परामर्श सं. 3 of 2023	19 अप्रैल, 2023	फ़िशिंग ईमेल अटैक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) हेतु आमंत्रण

परामर्श सं. 4 of 2023	27 जून, 2023	एटीएम से संबंधित कपट की घटनाओं में हाल ही में देखे गए रुझान
परामर्श सं. 5 of 2023	28 जून, 2023	हैक्टिविस्ट समूह अभियान स्विफ्ट को लक्षित कर रहा है
परामर्श सं. 6 of 2023	25 अगस्त, 2023	हाल ही में रैनसमवेयर की घटनाएं
परामर्श सं. 7 of 2023	18 सितंबर, 2023	मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके कपट वाले लेनदेन
परामर्श सं. 8 of 2023	10 अक्टूबर, 2023	उन्नत साइबर लचीलापन उपाय

यहां दर्शाई गई आवश्यकताओं के अतिरिक्त, किसी भी कार्य को बैंक की किसी अन्य सांविधिक/विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार भी किया जाना पड़ सकता है।

--xx—xx--

परिशिष्ट – 3

कम से कम 3 वर्षों की अवधि के लिए फर्म के साथ जुड़े पूर्णकालिक साझेदारों (एफटीपी) की संख्या।		**एफटीपी में से, कम से कम 3 वर्षों की अवधि के लिए फर्म के साथ जुड़े फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट (एफसीए) भागीदारों की संख्या।**		**सीआईएसए/आईएसए योग्यता वाले पूर्णकालिक साझेदारों/सीए की संख्या।**		**पीएसबी या निजी बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक/सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में लेखा परीक्षा अनुभव के वर्षों की संख्या**		**व्यावसायिक लेखापरीक्षा कर्मचारियों की संख्या (प्रशासनिक कर्मचारियों को छोड़कर)**		**एआईएफआई (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी, एनएबीएफआईडी) या आरबीआई में सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में लेखा परीक्षा अनुभव के वर्षों की संख्या**		**अधिकतम अंक**
भागीदारों की संख्या	दिए जाने वाले अंक	भागीदारों की संख्या	दिए जाने वाले अंक	भागीदारों की संख्या	दिए जाने वाले अंक	वर्षों का अनुभव	दिए जाने वाले अंक	व्यवसायों की संख्या	दिए जाने वाले अंक	पिछले 10 वर्षों में एआईएफआई की संख्या	दिए जाने वाले अंक	
(1)		**(2)**		**(3)**			**(4)**	**(5)**		**(6)**		**(7)**
5	10	4	10	2	10	15	10	18	08	<1	0	80
6	11	5	11	3	11	20	11	25	09	1-2	5	
7	12	6	12	4	12	25	12	30	10			
8	13	7	13	5	13	30	13	35	11			
9	14	8	14	6	14	35	14	40	12	3 और उससे अधिक	7	
9 से अधिक	15	8 से अधिक	15	7 से अधिक	15	35 से अधिक	15	40 से अधिक	13			

<u>नोट</u>:

1. उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए अंकों के क्रम में शीर्ष 10 लेखापरीक्षा फर्मों को सांविधिक लेखा परीक्षकों के चयन के लिए बैंक की मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुति देने के लिए चयनित किया जाएगा।
2. मूल्यांकन समिति के समक्ष फर्म द्वारा की गई बातचीत और प्रस्तुति के आधार पर 20 अंक दिए जाएंगे।
3. दो फर्मों के बीच बराबरी की स्थिति में, मूल्यांकन समिति चर्चा, प्रस्तुति, फर्म के अनुभव, पीएसयू/बैंक लेखापरीक्षा अनुभव आदि के आधार पर फर्मों की वरीयता तय करेगी। पीएसयू/बैंक में एआईएफआई (नाबार्ड, सिडबी, रा.आ.बैंक, एक्जिम

बैंक और नैबफिड) या भा.रि.बैंक शामिल हैं।

4. आवेदनों का मूल्यांकन उपरोक्त तालिका में दिए गए मापदंडों पर दिए गए अंकों और फर्म के साथ प्रस्तुति/बातचीत सहित आधारित होगा। प्रस्तुति/बातचीत से अनुपस्थित फर्मों को चयनित करने पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन मापदंडों पर प्रस्तुति दी जानी है और प्रस्तुति देने की तिथि एवं समय चयनित फर्मों को सूचित किया जाएगा।

--xx—xx--

परिशिष्ट – 4

1. 'वर्ष 2012-13 और उसके बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केंद्रीय एवं शाखा लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक' पर भा.रि.बैंक के परिपत्र डीबीएस.एआरएस.सं.बीसी.08/08.92.001/2012-13 दिनांकित 25 जून 2013 के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक (जैसा कि भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है और एसीबी और रा.आ.बैंक के बोर्ड के अनुमोदन से) निम्न दिया जाएगा:

क्र. सं.	**विवरण**	***शुल्क देय**
1.	बैंक के केंद्रीय लेखापरीक्षा कार्य के लिए पारिश्रमिक क) सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए मूल लेखापरीक्षा शुल्क ख) बैंक के शाखा लेखापरीक्षा कार्य के लिए पारिश्रमिक	रा.आ.बैंक के लिए 30 जून या संबंधित लेखा वर्ष के अंत तक बैलेंस शीट के आकार के आधार पर - ₹ 1,00,000 करोड़ से अधिक और ₹ 2,00,000 करोड़ तक - ₹ 8,42,600/- भा.रि.बैंक /एसीबी/बोर्ड द्वारा तय मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के लिए शाखा लेखा परीक्षा शुल्क। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए अन्य सभी कार्य मदों [जैसे सहायक/सहयोगी के संबंध में समेकन/प्रमाणन, भा.रि.बैंक/सेबी द्वारा आवश्यक अतिरिक्त प्रमाणन, खातों की तिमाही/अर्धवार्षिक सीमित समीक्षा, कर लेखा परीक्षा, आदि] के लिए, रा.आ.बैंक अपने बोर्ड/बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के अनुमोदन से शुल्क तय करेगा।

**नोट: स्पष्टीकरण के अभाव में, पारिश्रमिक को लागू करों से अलग माना जाएगा*

--xx—xx—

अनुलग्नक

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी मूलपाठ मान्य होगा।

XXXXXX